

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पत्रवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पत्रवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 187/2025

दिनांक:- 4/7/2025

श्री राजेश पुत्री
लक्ष्मीनारायण

उनवान

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का सईल भू. अ. नि. सगवरगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सईल प0 ह0 सईल की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 217 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>बैंक की अशुद्ध (रहन)</u>	<u>कॉपोरेशन बैंक शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>इन्डियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>

tu
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री राजेश पुत्री लक्ष्मीनारायण/187/2025
3. रक्षित पत्रावली।



tu
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0)